<u>न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश</u>

38

II/निगरानी/रीवा/भू.रा/2018/1739

1-सुरेश कुमार चौरसिया तनय श्री कैलास प्रसाद चौरसिया उम्र-60वर्ष

2-मिथिलेश प्रसाद चौरसिया तनय श्री कैलास प्रसाद चौरसिया उम्र-55 वर्ष

(दोनो निवासी ग्राम महसांव तहसील व थाना गुढ़ जिला रीवा म0प्र0)

--निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1-मोतीलाल चौरसिया तनय श्री दधिवल चौरसिया निवासी ग्राम महसांव तह0 व थाना गुढ़ जिला रीवा मध्यप्रदेश

13.3.18

26.3.18

13-3-18

--गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण कमांक 35/अ6/2014-2015 में पारित आदेश दिनांक 10.1.2018

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0</u>

13/03/18

मान्यवर,

<u>निगरानी के संक्षेप में तथ्य</u>

यहकि विचारण न्यायालय तहसीलदार तहसील गुढ़ जिला रीवा के न्यायालय में गैर निगरानीकर्ता द्वारा भूमि खसरा कमांक 3462/3स्थित ग्राम महसांव तह0गुढ़ जिला रीवा के संबंध में संहिता की धारा 115 व 116 के तहत खसरा सुधार हेतु इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उक्त वण्रित भूमि के खसरे में निगरानीकर्तागणों का नाम दर्ज हो गया है जबकि गैर निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से गहन बेंची आदि नहीं किया गया है और वर्ष 2007 में बिना किसी आधार के खसरे मे नाम दर्ज हुआ है जिसे सुधार कर गैर निगरानीकर्ता का नाम दर्ज किया जाय । जिस पर विचारण कर विचारण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/1739

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 35/अ-6/14-15 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हों। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	